विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

शुक्रवार, 28 जुलाई, 2017 / 06 श्रावण, 1939 (शक्)

संख्या— 109

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प:

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों कों प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई, 2017 तक विधान सभा सचिवालय को 16 संकल्पों की सूचनाएँ प्राप्त हुई। निम्नलिखित तीन संकल्पों को बैलेटिंग में स्थान प्राप्त हुआ, जिन्हें गैर सरकारी सदस्यों के लिए निर्धारित कार्यदिवस शुक्रवार, 11 अगस्त, 2017 को चर्चा के लिए लिया जाएगा:—

क्र0 सं0	सदस्य का नाम	संकल्प का विषय
1	श्री जगदीश प्रधान	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली सरकार द्वारा गत 5 वर्षों अथवा इससे ज्यादा समय से अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इनके नियमित न होने तक इन्हें ''सेम वर्क सेम पे'' के आधार पर तुरन्त प्रभाव से वेतन दिया जाए।
2	श्री नितिन त्यागी	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में भूमि का स्वामित्व चूंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है, अतः इसे निर्वाचित दिल्ली सरकार के अधीन होना चाहिए, ताकि दिल्ली के लोगों के कल्याण हेतु किये जाने वाले विकास कार्यों के लिए भूमि प्राप्त करने में विलम्ब न हो।
3	श्री मदन लाल	यह सदन संकल्प करता हैं कि महिलाओं, नवबालिगों तथा अन्य असहाय व्यक्तियों के शोषण को रोकने के लिये सरकार प्लेसमेंट एजेंसियों के रजिस्ट्रेशन हेतु एक उपयुक्त विधेयक ले कर आए।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative and other matters) Friday, 28 July, 2017, 06 Shraavan, 1939 (Saka)

No. 109

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

Hon'ble Members are hereby informed that 16 (sixteen) notices of resolutions were received by the Assembly Secretariat till the last date of receipt of Private Members Resolutions i.e., Friday, 28 July, 2017. The same have been prioritised on the basis of Balloting. These Resolutions would be taken up for discussion on the Private Members Day i.e. Friday 11 August, 2017:-

S.No.	Name of Member	Subject of Resolution
1.	Sh. Jagdish Pradhan	"This House resolves that the services of all employees working on contract basis for a period of more than five years be regularized and till such time their services are regularised they be paid remuneration equal to regular staff on the principle of 'equal work equal pay'."
2.	Sh. Nitin Tyagi	"This House resolves that DDA being the land owning agency, be immediately brought under the control of Government of Delhi to avoid delay in acquiring land by the Government of Delhi for providing welfare services to the people of Delhi."
3.	Sh. Madan Lal	"This House resolves that the Government enact a suitable legislation for registration of placement agencies to ensure proper monitoring and regulation of these agencies and avoid exploitation of women, minors and other vulnerable persons."

Prasanna Kumar Suryadevara Secretary